

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी - काठगोदाम- चौरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण

वन राजि -

1. किशनपुर 2. नंधौर

वन प्रभाग का नाम -

पूर्वी तराई वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रस्तावित क्षेत्रफल -

आरक्षित वन भूमि

एवं

वन राजि -

2. छकाता

वन प्रभाग का नाम -

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रस्तावित क्षेत्रफल -

आरक्षित वन भूमि

जनपद -

नैनीताल।

कुल क्षेत्रफल - 0.46

हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि)।

अनुसूची

क्रम संख्या	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1.	फैक्ट शीट	
2.	चैक लिस्ट	3-5
3.	Authority Letter	6-7
3.	प्रपत्र-1 प्रतिवेदन	8
4.	प्रपत्र-2 भारत सरकार के प्रपत्र	9
5.	प्रपत्र-3 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	10-18
6.	प्रपत्र-4 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)	19-22
7.	प्रपत्र-5 Site Inspection Report -Non Below The Rank of Dcf	23-24
8.	प्रपत्र-6 परियोजना का स्थल मानचित्र	25-26
9.	प्रपत्र-7 डिजिटल मानचित्र	27-29
10.	प्रपत्र-8 वैकल्पिक समरेखण को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	30-31
11.	प्रपत्र-9 विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व निरस्त किये जाने का कारण	32
12.	प्रपत्र-10 वैकल्पिक भूमि.उपलब्ध न होने एवं वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	33
13.	प्रपत्र-11 लैण्ड शैड्यूल	34-35
14.	प्रपत्र-12 परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	36-37
15.	प्रपत्र-13 बार चार्ट	38
16.	प्रपत्र-14 कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र	39
17.	प्रपत्र-15 प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची व मूल्यांकन	40
18.	प्रपत्र-16 बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र	41-51
19.	प्रपत्र-17 न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	52
20.	प्रपत्र-18 परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण न होने का प्रमाण पत्र	53-55
21.	प्रपत्र-19 राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र	56
22.	प्रपत्र-20 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र	57
23.	प्रपत्र-21 आम सभा अनापत्ति प्रमाण पत्र	58-59
24.	प्रपत्र-22 Cost Of Benefit Ratio Chart	60-61
25.	प्रपत्र-23 वनाधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	62-64
26.	प्रारूप-30,30.1	65-70
27.	प्रपत्र-24	71-72
28.	प्रपत्र-25 भवन निर्माण/मद वार विवरण	73
29.	प्रपत्र-26 भूवैज्ञानिक की आख्या	74
30.	प्रपत्र-27 भूवैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	75-78
31.	प्रपत्र-28 Task Force Certificate	79
32.	प्रपत्र-29 मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	80-81
33.	प्रपत्र-30 धार्मिक पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र	82-83
34.	प्रपत्र-31 वन्य जीव/वन्य वनस्पतियों को हानि न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र	84
		85

35.	प्रपत्र-32 परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	86
36.	प्रपत्र-33 लांभावित होने वाले गावों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	87
37.	प्रपत्र-34 वन्य भूमि मूल्य का प्रमाण पत्र	88-89
38.	प्रपत्र-35 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र	90-93
39.	प्रपत्र-36 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्ता प्रमाण पत्र	94
40.	प्रपत्र-37 रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन	95-97
41.	प्रपत्र-38 पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन	98-102
42.	प्रपत्र-39 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन	103-105
43.	प्रपत्र-40 परिपोषक लाईन /रोपवे के कौरिडोर के नीचे बौनी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन	106-108
44.	प्रपत्र-41 मलुवे निस्तारण का प्रमाण पत्र मय मानचित्र	109
45.	प्रपत्र-42 एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन	110-111
46.	प्रपत्र-43 एन0पी0वी0 की बढ़ी धरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	112
47.	प्रपत्र-44 आर0सी0सी0 पिलरो द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन	113-114
48.	प्रपत्र-45 लीज अवधि का प्रमाण पत्र	115
49.	प्रपत्र-46 वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र	116
50.	प्रपत्र-47	117
51.	अन्य प्रपत्र	

फैक्ट सीट

①

1.परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर -कालाढूँगी -हल्द्वानी-काठगोदाम -चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्यमार्ग के कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० ग्रीस्टेड कंक्रीट सेतु व पहुच मार्ग का निर्माण।

2.प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)

आरक्षित वन भूमि0.46 हैक्टेयर.....

सिविल एवं सोयम वन भूमि ———X—————

वन पंचायत भूमि ———X—————

निजी भूमि ———X—————

योग 0.46 हैक्टेयर

3.प्रस्तावक विभाग का नाम:- निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी (नैनीताल)

4.वन विभाग का नाम :-
1.पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी (0.32 हैक्टेयर)
2.हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी (0.14 हैक्टेयर)

5.प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है ☒ हाँ/ ☐ नहीं

6.प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है ☒ हाँ/ ☐ नहीं

7.क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -I, II,III, के सभी बिंदुओं की सूचना भरी गई है। ☒ हाँ/ ☐ नहीं

8.क्या प्रारूप में वाछिंत स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। ☒ हाँ/ ☐ नहीं

9.प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। ☒ हाँ/ ☐ नहीं

10.प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण पत्र संलग्न है ☒ हाँ/ ☐ नहीं

11.बांज प्रजातियों वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। ☒ (बांज प्रजाति के वृक्ष नहीं है) ☒ हाँ/ ☐ नहीं

12.प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

☒ प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन किया जाना आवश्यक है (सूची प्रस्ताव में है)

13. समरेखन में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है
✓ नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है
✓ हों/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
— उक्त प्रस्तावित हस्तान्तरित वन भूमि एक हैक्टर से कम है अतः दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण
आगणन आवश्यक नहीं है ।
✓ हों/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है — आवश्यकता नहीं है

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
✓ हों/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
✓ हों/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथीकोरी डोर का हिस्सा है
हों/नहीं ✓

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है ।
✓ हों/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है नया प्रस्तावित है
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
उक्त सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्व में निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है
हों/नहीं ✓

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंग से भरा गया है ।
हों/नहीं ✓

23. यदि सड़क का आंशिक बिंदु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
हों/नहीं ✓

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ — हों/नहीं ✓

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाए ।
हों/नहीं ✓

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं ।

— परियोजना हेतु उक्त समरेखण ही प्रथम एवं अन्तिम समरेखण है क्योंकि सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित मार्ग पर किया जा रहा है अतः वैकल्पिक समरेखण का औचित्य ही नहीं है ।

27. परियोजना हेतु उक्त समरेखण ही प्रथम एवं अन्तिम समरेखण है क्योंकि सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण निर्मित मार्ग पर किया जा रहा है अतः वैकल्पिक समरेखण का औचित्य ही नहीं है परियोजना निर्माण से वर्षा काल में भी यातायात बाधित नहीं होगा स्थानीय जनता को प्रत्येक मोसम में सुविधा रहेगी ।

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5 हैक्टेयर के प्रकरणों में लागू होगा) ।

हाँ/नहीं

29. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है ।

हाँ/नहीं

30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ।

हाँ/नहीं

अथवा

मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है ।

हाँ/नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावों में संलग्न है ।

हाँ/नहीं

32. क्या प्रस्तावों में संलग्न प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं ।

हाँ/नहीं

33. यदि वन भूमि लीज पर है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

हाँ/नहीं

34. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है ।

हाँ/नहीं

35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है ।

हाँ/नहीं

36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं ।

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया जाता है व समस्त प्रमाण पत्र व सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया जाता है व समस्त प्रमाण पत्र व सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया जाता है व समस्त प्रमाण पत्र व सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया जाता है व समस्त प्रमाण पत्र व सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं

चैक लिस्ट

क्र.सं.	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	संलग्न है अथवा नहीं।
	विषय सूची मय प्रमाण-पत्र		
1	प्रतिवेदन।	1	संलग्न है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	संलग्न है।
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	संलग्न है।
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	संलग्न है।
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की सीलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)।	5	संलग्न है।
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी मानचित्र	6	संलग्न है।
7	डिजिटल गैप व सी0डी0	7	संलग्न है।
8	वैकल्पिक संरक्षण तलाशें जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण	8 व 9	संलग्न है।
9	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।	10	संलग्न है।
10	प्रभावित भूमि का लैण्ड-सैड्यूल	11 व 11.1	संलग्न है।
11	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	12	संलग्न है।
12	बार चार्ट	13	संलग्न है।
13	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	14	संलग्न है।
14	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मृत्योकरण/सारांश/वार्षिक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6	संलग्न है।
15	बौज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र	16	संलग्न है।
16	पुल प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	17	संलग्न है।
17	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	17.1	संलग्न है।
18	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	संलग्न है।
19	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	संलग्न है।
20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिए)।	20	संलग्न है।
21	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	21	संलग्न है।
22	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विश्लेषण की सचना अति करना। (5.00 हे0 क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	संलग्न है।
23	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	23 से 23.3 तक	संलग्न है।

24	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या ।	26	संलग्न है ।
25	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र ।	27	संलग्न है ।
26	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र ।	28	संलग्न है ।
27	मानक सत मान्य होने का प्रमाण-पत्र	29	संलग्न है ।
28	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र	30	संलग्न है ।
29	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	31	संलग्न है ।
30	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमियों का मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र	32	संलग्न है ।
31	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र	33	संलग्न है ।
32	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की साप्ताहिक योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र (1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)।	35	संलग्न है ।
33	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	36	संलग्न है ।
34	सड़क के दोनों ओर रिक्त सीमाओं पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	संलग्न है ।
35	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पड़ लगाये जाने का साप्ताहिक प्राक्कलन [(1.00 है० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)।	39	संलग्न है ।
36	भू-विस्फोटन योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राक्कलन ।	41	संलग्न है ।
37	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का प्राक्कलन ।	42	संलग्न है ।
38	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र ।	43	संलग्न है ।
39	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण । (यदि लागू हो)	46	संलग्न है ।
40	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सीडी पी०डी०एफ० फॉरमेट में ।	48	संलग्न है ।

सहायक अभियन्ता
विभाग ४५६, पो-५०५६
राजौरी (पंजीकृत)

सहायक अभियन्ता
विभाग ४५६, पो-५०५६
राजौरी (पंजीकृत)



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल- 263002



Office of the Superintending Engineer, 2nd Circle, P.W.D., Nainital -263002
Phone/ Fax:- 05942-235728/ 232030 E-mail: sepwdntl@rediffmail.com

L.N. - 4999 / SE Camp - 2/2014 Dated 8-12-14

Authority letter

Mr. Ranjeet Singh, Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Haldwani (Nainital) is hereby authorized for online submission of Forest proposal on behalf of User Agency.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.

HALDWANI

4/08/14
(V.N.Tiwari)

Superintending Engineer
2nd Circle, P.W.D.Nainital

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी-हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5261/111(2)/12-(प्रा०आ०)/12 दिनांक 19.10.2012 द्वारा रु० 13.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है (फोटोप्रति प्रस्ताव में संलग्न है) इस सेतु एवं उसके पहुंच मार्ग के निर्माण से हल्द्वानी शहर, गोलापार क्षेत्र, चोरगलिया, सितारगंज की जनता को प्रत्येक मोसम में विशेषकर वर्षा काल में उक्त नदी/नाले में बाढ़ आदि आने पर यातायात में सुविधा होगी जिससे स्थानीय जनता (कृषकों) औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल सितारगंज व हल्द्वानी को वाहनो के आवागमन में सुविधा रहेगी ओर स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार सृजित होगा।


2012


अध्यक्ष अभियन्ता
निर्माण विभाग, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


बाधकारी आनयन
नगराज शर्मा, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

संलग्न प्रपत्र 1 में।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न प्रपत्र 6 में।

ग) परियोजना की लागत।

रु० 13.48 लाख।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण (संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रपत्र 10 में।

लागू नहीं है।

2. लागत लाभ विश्लेषण :-

क) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।

निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं भविष्य में अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

कुल अपेक्षित भूमि में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाहूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

शून्य।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

शून्य।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य।

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

शून्य।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं)-नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या वण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न प्रपत्र 29 में।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

संलग्न अनुसूची के अनुसार।

दिनांक 14-12-2014

स्थान-हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(श्री० रणजीत सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

G2

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भत्ता)

भाग-II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-

- | | |
|--|--|
| i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के किशनपुर राजि के अन्तर्गत किशनपुर वन ब्लॉक कक्ष सं०-1 व 2 में प्रस्तावित है। |
| ii) जिला | उत्तराखण्ड। |
| iii) वन प्रभाग | नैनीताल। |
| iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
0.32 है० |
| v) वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन क्षेत्र। |
| vi) हरियाली का घनत्व | 0 - 0.10 |
| vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। | संलग्न। |
| viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | संलग्न। |
| ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | वन की सीमा पर स्थित है। |
| x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | शिवालिक ऐलीफेंट रिजर्व के अन्तर्गत घोषित है। (प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी संलग्न है।) |
| xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं। |
| xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | संलग्न। |
| 9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं। |

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

प्रस्तावित वन भूमि 1 है० से कम है अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षारोपण योजना संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

- 11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	3422.00 है०
i. जिला का वन क्षेत्र।	3096.72 है०
ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	42 मामले, 463.8992 है०
iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	658.377 है०
(क) वण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2013-14 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	—
(क) वन भूमि पर	57.682 है०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	—

- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

(स्वीकृति हेतु प्रेषित)

दिनांक- 21.12.2014

स्थान- हल्द्वानी।

नाम-(डॉ० पराग मधुकर धकाते)

प्रभागीय वनाधिकारी
नराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

7 परियोजना/स्कीम का स्थान - जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी- हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के किमी0 80 सूर्यानाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7अ व 8स में।

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | - | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग | - | हल्द्वानी वन प्रभाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 0.14 है0 (आरक्षित भूमि) |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | - | आरक्षित |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - | 0.00-0.10 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न किया |
| viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तहहटी पर सूर्यानाला से लगा हुआ है। सूर्यानाला से लगा होने के कारण क्षेत्र भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है। क्षेत्र वन-भूमि से लगा हुआ है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | - | सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र छकाता राजि के अन्तर्गत डोलपोखरा कक्ष सं0 7अ व 8स में स्थित है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | नहीं |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | - | संलग्न है। |

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं। - नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- I. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रस्तावित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः
→ क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।
 - II. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - III. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - IV. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) -
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल) - 4251.00 वर्ग किमी०
 - ii. जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र। - हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है।
1- जनपद नैनीताल- 47808.62 है०
2- जनपद चम्पावत- 15651.38 है०
कुल योग- 63460.00 है०
 - iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 30 मामलों व 367.184 है०
 - iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित -

(ख) वनेत्तर भूमि पर 2013-14 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०

(क) वन भूमि पर - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०
(ख) वनेत्तर भूमि पर - -

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 26/12/14

स्थान Haldwani

हस्ताक्षर

नाम - (डा० सी० एस० सनेवाल)
ब्रह्मणीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागिक वनाधिकारी हतवानी वन प्रभाग के आस्था रिपोर्ट अनुसार अग्रोन्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तिथि 27/12/14

स्थान हतवानी

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।

[illegible]

संख्या-5261/111(2)/12-06(प्रौआ0)/2012

प्र.सं.

धीरेन्द्र सिंह बताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 19 अक्टूबर, 2012

विषय:- जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-लाल कुआँ/सितारगंज हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न 03 कार्यों की व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०:- 2487/111(2)/12-06(प्रौआ0)/2012 दिनांक 08 जून, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-लाल कुआँ/सितारगंज के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों हेतु प्रस्तुत प्रथम चरण के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 31.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति द्वारा प्रदान की गई है।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 जून, 2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार स्वीकृत 03 कार्यों की अनुमोदित लागत ₹ 31.28 लाख (₹ इकतीस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश सं०:- 2487/111(2)/12-06(प्रौआ0)/2012 दिनांक 08 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखावीरक-6054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 अंश तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाट जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 494(A)/XXVII(2)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

Photo Copy Attester

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. &
HALDWANI

(धीरेन्द्र सिंह बताल
उप सचिव)

DAD/JELT/AD III/SAD

Signature

क्रमांक-526/11(2)/12-08(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक

घनराशि लाख ₹ में

कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकलित घनराशि।	चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही घनराशि।
2	3	4	5
जनपद उधमसिंहगढ़ के विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के अन्तर्गत दोदा मोड़ से कटना नदी के उस पार तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य 24 मी० स्पान सेतु सहित।	1.50 km + 24 mt span bridge	1.92	0.10
जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाबुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज-बिज्डी राज्य मार्ग के कि०मी० 82 सुखी नदी (शेर नाला) में 120 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु का निर्माण कार्य।	120मी०	15.88	0.10
जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाबुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज-बिज्डी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सुर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु का निर्माण।	100मी०	13.48	0.10
योग:-	1.50 + 03 bridge	31.28	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(धीरेन्द्र सिंह बताल)
उप सचिव

-2-

/ 11(2) / 12-08(आ0आ0) / 2012 तददिनांकित।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी जनपद उधमसिंहनगर/नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल/हल्द्वानी।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Photo Copy Attested

A

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(धीरेन्द्र सिंह दताल)

उप सचिव

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)
(संलग्न है)

  
सहायक अभियन्ता
विभागीय सचिव, मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


निरीक्षक अभियन्ता
विभागीय सचिव, मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमुख अभियन्ता
मो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

22

जनपद नैनीताल में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 52651/111-(2)/12-(प्रो0आ0)/2012 दिनांक 19.10.2012 द्वारा रू0 13.48 लाख की स्वीकृति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामनगर-कालादूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज बिजटी राज्य मार्ग के किमी0 80 में सूर्यानाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रिस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु समरेखन के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जाने वाली प्रस्तावित की जाने वाली वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी/लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 हल्द्वानी एवं उत्तराखण्ड वन विभाग के हल्द्वानी वनप्रभाग हल्द्वानी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28.01.2014 को किया गया।

समरेखन हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया परन्तु इस समरेखन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रस्तावित समरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की सं029.... है।

प्रस्तावित समरेखन में कोई धार्मिक ऐतिहासिक एवं ऐसे कोई सामाजिक स्थान प्रभावित नहीं होते हैं जिनसे जनता में प्रतिकूल असर/प्रभाव पड़े।

प्रस्तावित समरेखन में निर्माण हेतु 0.46 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि (0.32 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि किशनपुर वन ब्लॉक कक्ष संख्या 1 व 2, किशनपुर राजि0 पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी, 0.14 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि डोलपोखरा कक्ष संख्या 7 अछःखाता राजि0 हल्द्वानी वनप्रभाग हल्द्वानी) प्रस्तावित समरेखन में पड़ती है जिसकी प्रयोक्ता विभाग लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को उक्त कार्य निर्माण हेतु आवश्यकता है।

संयुक्त निरीक्षण में निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(ललित चन्द जोशी)
वन रक्षक
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(भवानी दत्त काण्डपाल)
वन दरोगा
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(जसवंत सिंह)
अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

(ललित मोहन पाण्डे)
वन दरोगा
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(लक्ष्मण सिंह मुर्तिया)
वन क्षेत्राधिकारी किशनपुर राजि0
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(सुरेश चन्द पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

(सुनील कुमार गरोला)
वन क्षेत्राधिकारी छःखाता राजि0
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(नवीन चन्द पन्त)
उप प्रभागीय वनाधिकारी (गौला)
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(सुरेश चन्द पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
हल्द्वानी (नैनीताल)

(प्रकाश चन्द शर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
हल्द्वानी

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from P.W.D for diversion under FCA-1980) of 0.032 ha. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for R.C.C Bridge. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated - 11.02.2014

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.32 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of- NIL

Whether protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required- NIL

✓ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

✗ b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

(Signature)

Place- Haldwani

Date- 21.12.2014

Name- Dr. P.M. Dhakate

Designation- D.F.O.

Office Seal प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग

हल्द्वानी

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forest is required.

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from P.W.D. Haldwani for diversion under FCA-1980) of 0.14 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of 122 m span R.C.C. bridge. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 22/12/2014
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.14 ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- NIL
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NIL
- ✓a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- ✓b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.
- Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Haldwani

Date: 22/12/2014

(Signature)

Name: Dr. C.S. Sanwal

Designation: प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

Office Seal

N.B.

- x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रपत्र-6

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र
संलग्न है।



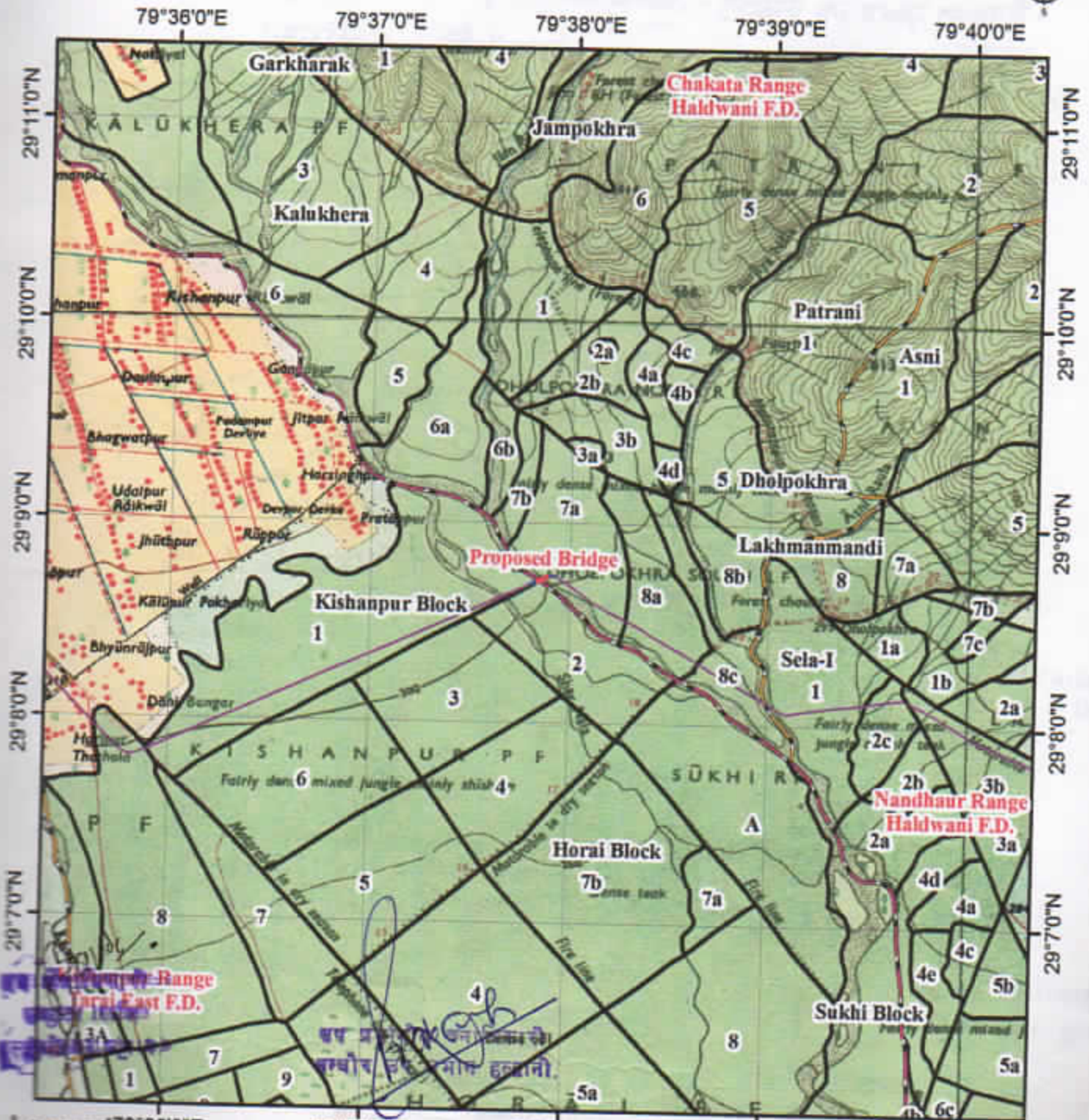


अध्यक्ष, अधिवक्ता,
 विधान सभा, मो० नि० वि०,
 हल्द्वानी (नैनीताल)

अध्यक्ष, अधिवक्ता,
 विधान सभा, मो० नि० वि०,
 हल्द्वानी (नैनीताल)

डिजिटल मैप :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढुगी-हल्द्व नी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80.00 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

0 0.5 1 Km



Legend

- Proposed Bridge
- Approach Road
- Existing Road
- Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

बन विभागीय अधिकारी

नैनीताल जिला

हल्द्वानी (बन विभाग)

प्रभागीय वनाधिकारी

हराई पूर्वी वन प्रभाग

हल्द्वानी

Sub Divisional Magistrate

HALDWANI (Nainital)

Uttarakhand

बन प्रभागीय वनाधिकारी

(गोला)

हल्द्वानी

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

कोश का नाम :- जनपद मैनीताल के विधान सभा क्षेत्र - लालकुवाँ के अन्तर्गत रामनगर - कालिंदी
 हल्द्वानी - काठगोदाम - चौरगानिया - सितागंज - बिजौ राउथ भाग के कि.मी. 80 सुमा जला
 में 100मी. स्पान के डार 20 सी. सी. प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु व पट्टे भाग का निर्माण ।
 खण्ड का नाम :- निर्माण खण्ड लो. नि. वि. हल्द्वानी (मैनीताल)

वन ब्लॉक 1 व 2 विधान पुर राशि

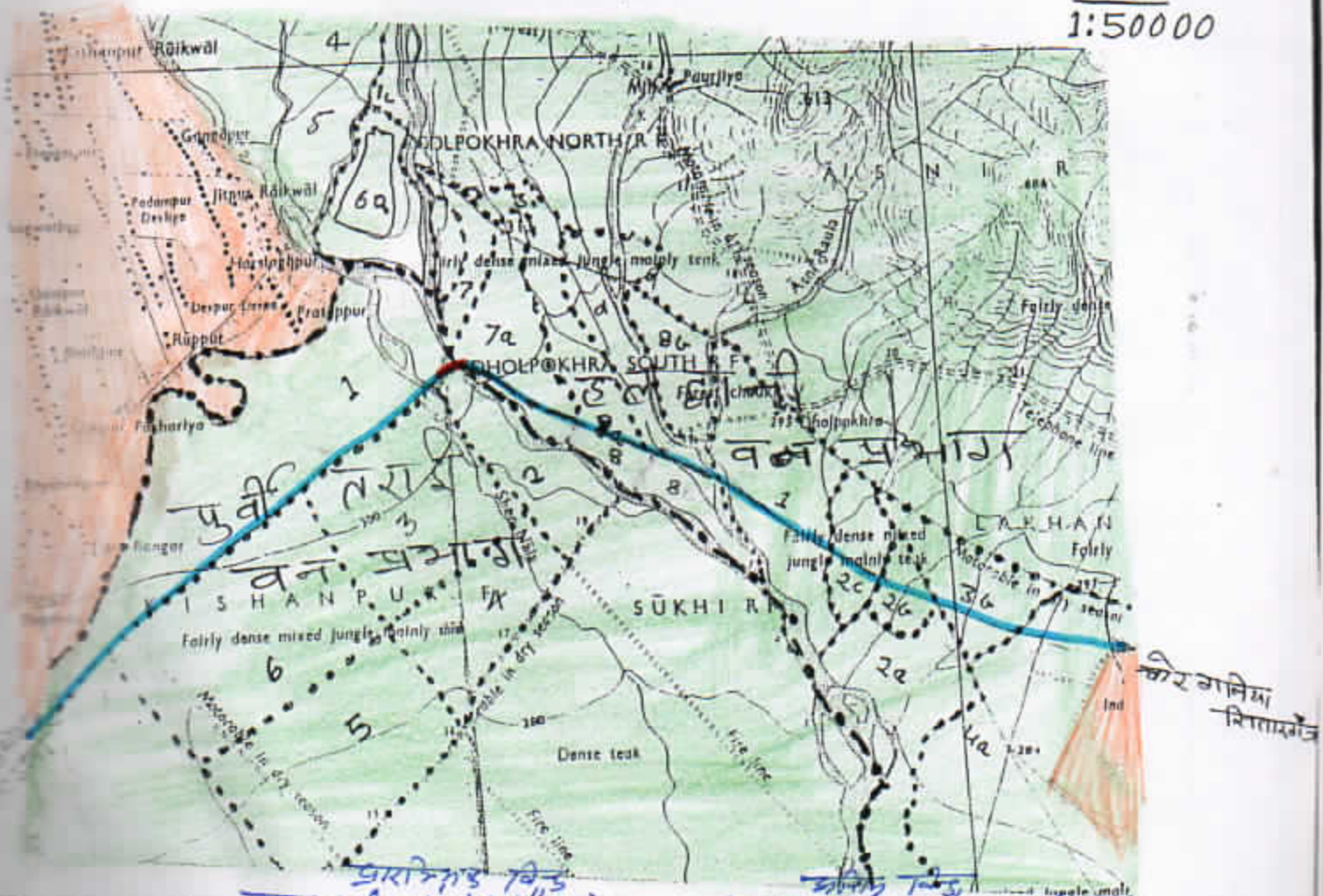
वन प्रभाग - पूर्वी तराई वन प्रभाग
 हल्द्वानी

वन ब्लॉक :- डोल पोरवरा कक्षा सं. 7 अ
 द. खाता राशि

वन प्रभाग :- हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

जनपद :- मैनीताल

स्केल
 1:50000



REFERENCE उत्तर 29° 08' 42.4" दक्षिण
 पूर्व 79° 37' 49.8" दक्षिण

उत्तर 29° 08' 43.9" दक्षिण
 पूर्व 79° 37' 53.2" दक्षिण

- FOREST BLOCK BOUNDARY [---]
- COMPUTER BOUNDARY []
- PROPOSED AREA []
- CIVIL LAND []
- R.W.D. ROAD []
- RESERVE FOREST []
- FOREST DIVISION BOUNDARY []

उपस्थित अधिकारी
 विभागीय सचिव, नो. नि. वि.
 हल्द्वानी (मैनीताल)

उपस्थित अधिकारी
 विभागीय सचिव, नो. नि. वि.
 हल्द्वानी (मैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

Sub Divisional Magistrate
 HALDWAN (Nainital)
 Uttarakhand

जिलाधिकारी
 मैनीताल

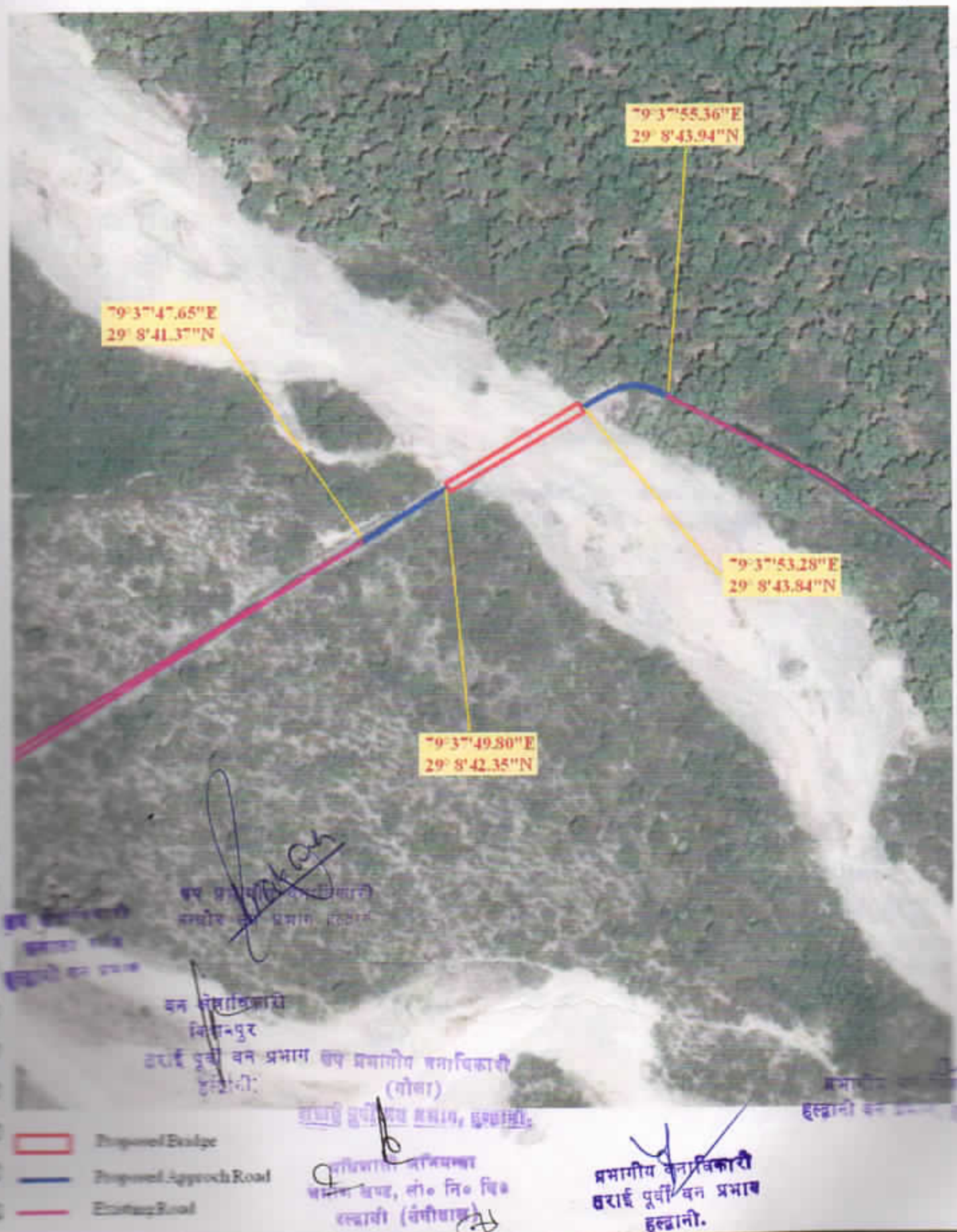
उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (मौला)
 हल्द्वानी पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

डिजिटल मानचित्र मय दो सी०डी०

अतिरिक्त अधिकारी
जिला सड़क, ला० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

डिजिटल मैप :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत 292
 मन्सूर-कालाढुगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग
 के कि०मी० 80.00 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु
 व पहुंच मार्ग का निर्माण



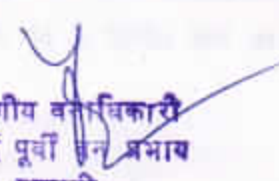
प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

चयनित समरेखण ही एक मात्र प्रथम व अंतिम समरेखण है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व से निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


 अधीक्षक अभियंता,
 विभाग अखंड, सो० नि० वि०,
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 प्रभागीय वनाधिकारी
 तराई पूर्वी वन प्रभाग
 हल्द्वानी।


 बाधितकारी अभियंता
 विभाग अखंड, सो० नि० वि०,
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 वन क्षेत्राधिकारी
 किन्नोरपुर
 तराई पूर्वी वन प्रभाग
 हल्द्वानी।


 वन प्रभागीय वनाधिकारी
 (गोला)
 तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।


 वन क्षेत्राधिकारी
 कालाढूँगी राखि
 हल्द्वानी वन प्रभाग।


 वन प्रभागीय वनाधिकारी
 गंधीर
 वन प्रभाग, हल्द्वानी।


 प्रभागीय वनाधिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

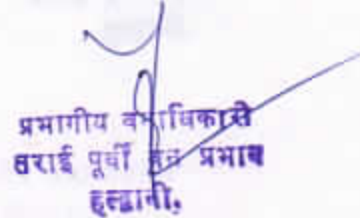
परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

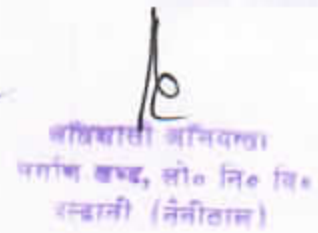
विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण -पत्र

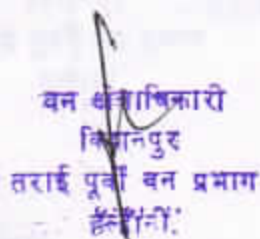
संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	सेतु व पहुँच मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.46 हे०	29	230 मी०	
संरेखण-2	—	—	—	—
संरेखण-3	—	—	—	—

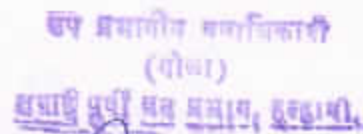
चयनित समरेखण ही एक मात्र प्रथम व अंतिम समरेखण है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व से निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


सहायक अभियन्ता
विभागाध्यक्ष, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

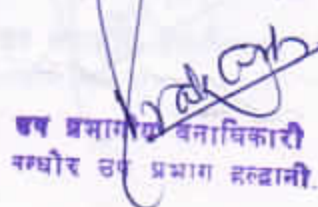

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी,

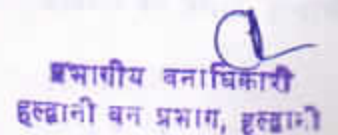

अतिरिक्त अभियन्ता
पर्याप्त खण्ड, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


वन क्षेत्राधिकारी
विमानपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(पोवा)
खण्डाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
खण्डाई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी


उप प्रभागीय वनाधिकारी
खण्डाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

(प्रमाण पत्र संलग्न है)

 
अध्यक्ष अभियन्ता
विभाग, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


अतिरिक्त अभियन्ता
विभाग, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(सी० नि० वि०)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


अध्यक्ष अभियन्ता
काता राज
हल्द्वानी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
नम्बोर उप प्रभाग

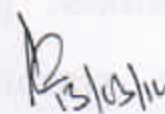

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर-
लादुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 पूर्व
नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित०.५६..... है० वनभूमि की माँग न्यूनतम है। इससे कम में वनभूमि पर परियोजना का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।


तहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, जो०नि०वि०
हल्द्वानी (वंदीवाह)



प्रतिपाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (वंदीवाह)



प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्व वन प्रभाग
हल्द्वानी.


01/04/2014


04/04/2014
निरीक्षक
वन काठगोदाम

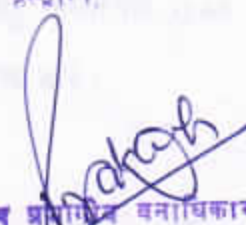

414


Sub-Divisional Magistrate
HALDWAN - NI (Nainital)
Uttarakhand.


वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्व वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


वन क्षेत्राधिकारी
छाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग.


उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन्धौर उप प्रभाग हल्द्वानी


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


प्रतिपाली
नैनीताल.

वन भूमि मांग का पूर्ण औचित्य एवं विस्तृत आख्या 1.5 (34)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5261/111(2)/12-प्रा०आ०/12 दिनांक 19.10.2012 द्वारा ₹ 13.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त परियोजना निर्माण से इस स्थल पर प्रत्येक मोसम में वाहनो का आवागमन सुचारु रूप से बना रहेगा क्योंकि विगत वर्षो उक्त नदी में बाढ़ आने के कारण वाहनो का आवागमन बाधित रहता रहा एवं कुछ वाहनो के बहने की खबरे भी आई है अब सितारगंज सिडकुल एवं हल्द्वानी का सम्पर्क मार्ग होने के कारण भी इस नाले पर सेतु की आवश्यकता एवं मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है। उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है परियोजना निर्माण से स्थानीय कृषको व सिडकुल सितारगंज को जाने एवं आने वाले वाहनो को प्रत्येक मौसम में सुविधा रहेगी। उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है ओर यह क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत है, उक्त परियोजना हेतु आवेदित 0.44 हैक्टर वन भूमि की आवश्यकता का औचित्य उचित है। अतः परियोजना हेतु आवेदित 0.44 हैक्टर वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करे।


अतिरिक्त सचिव
विनियमन एवं भू-निर्माण
हल्द्वानी (बैनीवाघ)


अतिरिक्त सचिव
विनियमन एवं भू-निर्माण
हल्द्वानी (बैनीवाघ)

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत तननगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
नैनीताल	पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी	किशनपुर	कक्ष सं०-1 कक्ष सं०-2	160 160	10 10	0.16 0.16
नैनीताल	हल्द्वानी वन प्रभाग	1.छफाता	डोलपोखरा कक्ष-7अ डोलपोखरा कक्ष-8	70 70	10 10	0.07 0.07
योग	-	-	-	-	-	0.46

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्र अधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दी वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रपत्र-11.1

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

भूमि की श्रेणी :-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)

शून्य


उप-विभागीय अधिकारी
जनपद नैनीताल, लो० वि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


उप-विभागीय अधिकारी
जनपद नैनीताल, लो० वि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.


जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कातादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

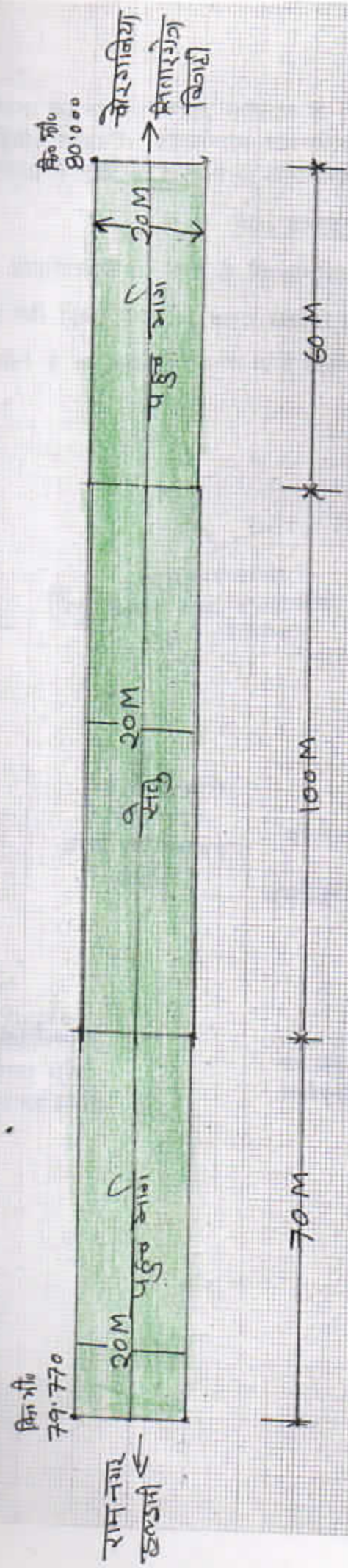
क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
1	आरक्षित वन भूमि	230	20	0.46	
2	सिविल सोयम भूमि	—	—	—	
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—	
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—	
	वन भूमि का योग	220	20	0.44	
4	नाप भूमि	—	—	—	
	कुल योग-	—	—	0.44	


 सहायक जलियन्त्रा
 निर्माण सचिव, जौ० नि० वि०
 दलदानी (नैनीताल)


 जलियन्त्रा
 जौ० नि० वि०
 दलदानी (नैनीताल)

प्रपत्र-13
बार चार्ट

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम- चोरगलिया-शितारगंज विजयी राज्य मार्ग कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।



कि०मी०
79.770

कि०मी०
80.000

वन सेवाधिकारी
मिस्टर
तराई प्रकाश वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन सेवाधिकारी
(पौधा)

प्रमुख एवं प्रभाग, हल्द्वानी

प्रमुख वन अधिकारी
मिस्टर अरवि, वी०मि०पि
हल्द्वानी

वन सेवाधिकारी
कमला राय
हल्द्वानी वन प्रभाग

प्रमुख वन अधिकारी
तराई प्रकाश वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन सेवाधिकारी
अरवि वन प्रभाग
हल्द्वानी

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल हे० मी०
आवृत्त वन भूमि		
सिविल एवं सोयम भूमि		0.46
वन पर्यटन भूमि		
नाप भूमि		

प्रभारी वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाईगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य
प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति
प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

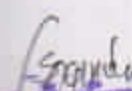
  
प्रमाणित अधिकारी
विभागीय अधिकारी, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

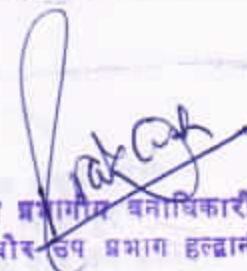

आवश्यक अधिकारी
विभागीय अधिकारी, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रमाणित वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


वन क्षेत्र अधिकारी
विष्णुपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


उप प्रमाणित वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


वन क्षेत्र अधिकारी
छाता राज
हल्द्वानी वन प्रभाग.


उप प्रमाणित वनाधिकारी
रम्धौर उप प्रभाग हल्द्वानी


प्रमाणित वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल, के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगौदाम-चौरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।

आरक्षित वन भूमि पर

क्र० सं०	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेन्ट	प्रजाति	व्यास श्रेणी (सेमी०मी०)						योग	
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70		70 से ऊपर
1.	किशनपुर कक्ष सं० 1ब	शीशम सूखा	—	1	—	—	—	—	—	1
2.		कज्जु हरा	—	1	1	—	—	—	—	2
3.		कज्जु सूखा	—	—	—	—	—	1	—	1
4.		कोकाट	—	1	—	—	—	—	—	1
5.	किशनपुर कक्ष सं० 2	शीशम सूखा	—	—	1	—	—	—	—	1
6.		कज्जु हरा	—	1	5	1	—	—	—	7
7.		रोहनी हरा	2	—	—	—	—	—	—	2
योग			2	4	7	1	—	1	—	15

वन प्रभागीय वन अधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
विना पुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वन अधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.